न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 11/2017
दायर दिनांक :— 19—04—2017
निर्णय दिनांक :— 05—03—2019

अनवान

1—श्री भूरालाल पिता रामलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2— श्री रतनलाल पिता रामलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1—श्री भैरूलाल पिता स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा,
2—गोपीबाई पत्नि स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा
3—केसर पुत्री स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा
4—दुर्गा पुत्री स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा
5—मन्जु पुत्री स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा
6—सीमा पुत्री स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा
7—रामकन्या पुत्री स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा
8—बादाम पुत्री स्व. गणेशलाल जी जाट निवासी माताजी का खेडा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार रेलमगरा मु. न. 5/08 (रास्ता) 251 आर.टी.ए निर्णय दिनांक 23/04/2010 अन्तर्गत धारा 251 राज0टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :—

1— श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री उदयलाल कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 05—03—2019

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार रेलमगरा के प्रकरण संख्या 05/2008 निर्णय दिनांक 23/04/2010 को प्रार्थीगण की भूमि आराजी न0 33 से रास्ता खोलने का आदेश पारित किया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है । अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मयाद प्रार्थना पत्र व मुल अपील पर बहस सूनी गयी ।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने मयाद के प्रार्थना पत्र में उन्ही तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को न तो उनके अधिवक्ता ने दी है न ही अन्य किसी सोर्स से हुई। उक्त आदेश की पालना में जब राजस्व कर्मचारी मोके पर आये तो उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर शीघ्र अपील प्रस्तुत की है। जो अन्दर मयाद है। मयाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपील जानबुझकर देरी से पेश की गई है इसी आधार पर अपील खारीज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन विचार किया गया सम्बन्धित विधी का अवलोकन किया गया प्रकरण जायदाद से सम्बन्धित है। गुणा अवगुण पर इसका विनिश्चय करना हम उचित समझते है इसलिए सुलभ न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में अपीलार्थी का धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विद्वान तहसीलदार रेलमगरा का आदेश न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अधिनस्थ न्याययालय द्वारा पारित आदेश नोनस्पीकिंग है। आक्षेपित आदेश में अधिनस्थ न्यायालय ने रैस्पौडेंट/प्राथी के स्व. पिता गणेश लाल का प्रार्थना पत्र क्यो स्वीकार किया जा रहा है उसका कोई कारण उल्लेखित नहीं किये है न ही अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि आराजी सख्या–33 की कौनसी पाली से प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना आदेशित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है। जब प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र पर यह उल्लेखित करके आया है कि जिस जगह भूरा ने नोहरा बना रखा है उस जगह से वह हल बैलगाडी लाता ले जाता था तथा उसके द्वारा नोहरा बना लिये जाने से रतनलाल ने कहा कि मेरी पाली से होकर जाना। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि जिस स्थान से रैस्पोडेंट रास्ता चाह रहा है वह रास्ता उसके स्वय के कथनानुसार अनुमति पूर्वक है तथा जहां किसी अनुमति पूर्वक रास्ते की बात आ जाती है वहा सुखाधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। यह कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का बाडा बना हुआ है तथा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आराजी से दुसरी आराजी में प्रवेश के लिये जिस रास्ते का सुखाधिकार पूर्वक उपयोग किया जा रहा है उस रास्ते के अवरोध को दुर किया जाता है लेकिन हस्तेगत प्रकरण में मौके पर अपीलान्ट की भूमि में बाडे बने हुए है जिसका स्पष्टीकरण आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये नक्शा मौका दिनांक 20.12.2008 से हो जाता है। इस नक्शे में यह भी स्पष्ट है कि आराजी संख्या –33 के उत्तर दिशा में 7 फीट चौडा रास्ता विद्यमान है जो आराजी संख्या–28 की उत्तरी पाली के समान्तर है। जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा उस रास्ते से आवागमन किया जाता है तो धारा 251 के प्रावधानो का उपयोग कर नये सीरे से नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने बहस में कथन किया कि ग्राम माताजी का खेडा की आराजी नम्बर 28 में जाने का रास्ता आराजी नम्बर 33 में होकर जाता था । जिससे अपीलाण्ट द्वारा नोहरा बना कर रोक लिया गया है। मुझे मेरी आराजी नम्बर 28 में आने जाने हेतु अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 33 में होकर आने जाने का रास्ता जो रोक दिया गया है उसे खुलवाया जावे । अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का आवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट की आराजी में से रास्ता चाहा जा रहा है। जबकि रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट की आराजी में से उत्तर दिशा में रास्ता दिया हुआ है। फिर भी यदि रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट की आराजी में से रास्ता चाहता हैं तो नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत समक्ष न्यायालय से इमदाद हासील कर सकता है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है । तहसीलदार रेलमगरा की पत्रावली संख्या 05/08 निर्णय दिनांक 23.04.2010 निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द